राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.28( )पराविं / प्रशा.2 / सहा.वि.अ. झाड़ोल / अभि. स्वी. / 2020 / 224 जयपुर,दिनांक : 19/01/2021

:: आदेश ::

पुलिस थाना गोगुन्दा, जिला उदयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 369 / 2015 अन्तर्गत धारा 420, 406, 409 भा.द.स. में श्री रूपलाल खडूल, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, मोड़ी, पं.स. गोगुन्दा, हॉल सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति झाड़ौल, जिला उदयपुर के विरूद्ध आदेश क्रमांक 184 दिनांक 15.01.2021 द्वारा अभियोजन स्वीकृति दी गई है।

अतः राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रूपलाल खडूल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

श्री रूपलाल खडूल का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय कार्यालय जिला परिषद डूंगरपुर रहेगा, निलम्बन काल में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—
1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. जिला पुलिस अधीक्षक, कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर / डूंगरपुर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति झाडौल, जिला उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निलम्बन आदेश का इन्द्राज श्री रूप लाल खडूल की सेवापुस्तिका में लाल स्याही से कर, उसकी प्रमाणित प्रति भिजवाना सुनिश्चित करावें।
5. श्री रूपलाल खडूल, तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, मोड़ी, पं.स. गोगुन्दा, हॉल सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति झाड़ौल, जिला उदयपुर।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव—II